न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्र

(आर.ए.एस.)

[illegible].सं. 7/2019

[illegible]सीएमएस : 2019/00015

1. अवतारकौर बेवा दर्शनसिंह कौम कश्मीरी ब्राहाणसिख साकिन लाट कॉलोनी चिरवा पाड़ा (पोस्ट मोदी पाड़ा) संबलपुर (उड़ीसा)।
2. हरविन्दसिंह वल्द दर्शनसिंह कौम कश्मीरी ब्राहाणसिख साकिन लाट कॉलोनी चिरवा पाड़ा (पोस्ट मोदी पाड़ा) संबलपुर (उड़ीसा)।
3. हरनेकसिंह वल्द दर्शनसिंह कौम कश्मीरी ब्राहाणसिख साकिन लाट कॉलोनी चिरवा पाड़ा (पोस्ट मोदी पाड़ा) संबलपुर (उड़ीसा)।
4. कुलदीपकौर पत्नी रणजीतसिंह कौम मेहरासिख साकिन पानी टंकी, मोदी पाड़ा संबलपुर (उड़ीसा)। (विलोपित)
5. अमरदीप कौर पुत्री दर्शनसिंह कौम कश्मीरी ब्राहाणसिख साकिन लाट कॉलोनी चिरवा पाड़ा (पोस्ट मोदी पाड़ा) संबलपुर (उड़ीसा)।

बनाम

1. कुलवन्त कौर बेवा प्रीतपालसिंह कौम कश्मीरी ब्राहाम्ण सिख साकिन आदर्श (हांडा) कॉलोनी 22 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर।
2. गुरमीतसिंह वल्द प्रीतपालसिंह कौम कश्मीरी ब्राहाम्ण सिख साकिन आदर्श (हांडा) कॉलोनी 22 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर।
3. चरणजीतसिंह वल्द प्रीतपालसिंह कौम कश्मीरी ब्राहाम्ण सिख साकिन आदर्श (हांडा) कॉलोनी 22 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर।
4. राकेश सिंह वल्द प्रीतपालसिंह कौम कश्मीरी ब्राहाम्ण सिख साकिन आदर्श (हांडा) कॉलोनी 22 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर।
5. अमरजीतकौर बेवा जीतसिंह कौम कश्मीरी ब्राहाम्ण सिख साकिन तालाब तिल्लों जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर)। (मृतक)
6. भूपेन्द्रसिंह वल्द जीतसिंह कौम कश्मीरी ब्राहाम्ण सिख साकिन तालाब तिल्लों जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर)।
7. प्रीतमसिंह वल्द जीतसिंह कौम कश्मीरी ब्राहाम्ण सिख साकिन तालाब तिल्लों जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर)।
8. रविन्द्र कौर पत्नी बरिन्द्रसिंह वल्द सरदूलसिंह कौम ब्राहाम्ण सिख साकिन अंसारी मार्ग देहरादून (उत्तराखण्ड)। (विलोपित)
9. गुरदीपकौर पत्नी राजू कौम महाजन साकिन तालाब तिल्लों जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर)। (विलोपित)
10. चमनदीप कौर पुत्री जीतसिंह कौम ब्राहाम्ण सिख साकिन तालाब तिल्लों जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर)। (विलोपित)
11. ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा 22 पीएस जरिये शाखा प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स शाखा 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर। (विलोपित)
12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, रायसिंहनगर। —:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53—88—91—183—209 राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 29.01.2019

उपस्थित अधिवक्तागण

1. **श्री हरपालसिंह सूधन अधिवक्ता वादी।**
2. **श्री सुभाष बिश्नोई अधिक्क्ता प्रति. सं. 1 ता 4।**

—: निर्णय [illegible] [illegible].2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.26 16:44:18 IST
Reason: SelfAttested

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि चक 9 एन.पी. त[illegible] [illegible]सिंहनगर के मुरब्बा नं. 7 के पं.नं. 171/313 की 24.10 बीघा [illegible] कृषि [illegible] 19.02. 1952 को वादी संख्या 1 की सास व वादी स[illegible] 2 [illegible] 4 की दादी [illegible]रकौर बेवा आसासिंह को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के [illegible] 1947 के [illegible] के तौर पर जम्मू एवं कश्मीर सरकार निष्क्रान्त (संपत्ति [illegible]) [illegible]म 1949 के तहत जम्मू एवं कश्मीर सरकार के केबिनेट ऑडर संख्या 1476 सी [illegible] 1950 एवं 913

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

सी दिनांक 07.05.1951 के तहत भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय द्वारा परिवार के 4 सदस्य स्वयं करतारकौर उनके पुत्रों प्रीतपालसिंह, जीतसिंह व दर्शनसिंह को यूनिट फैमिली के हिसाब से हैड ऑफ फैमिली (मुखिया) करतारकौर को आवंटन किया गया था। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि चक 9 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नं. 7 के पं.नं. 171/313 की 24.10 बीघा नहरी कृषि भूमि का दिनांक 19.02.1952 को वादी संख्या 1 की सास व वादी संख्या 2 ता 4 की दादी करतारकौर बैवा आसासिंह को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सन् 1947 के विस्थापित भूमिहीन परिवार के तौर पर जम्मू एवं कश्मीर सरकार निष्क्रान्त (संपत्ति प्रशासन) अधिनियम 1949 के तहत जम्मू एवं कश्मीर सरकार के केबिनेट ऑडर संख्या 1476 सी सन् 1950 एवं 913 सी दिनांक 07.05.1951 के तहत भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय द्वारा परिवार के 4 सदस्य स्वयं करतारकौर उनके पुत्रों प्रीतपालसिंह, जीतसिंह व दर्शनसिंह को यूनिट फैमिली के हिसाब से हैड ऑफ फैमिली (मुखिया) करतारकौर को आवंटन किया गया था। इसके उपरांत जम्मू एवं कश्मीर सरकार के केबिनेट ऑडर संख्या 578 सी दिनांक 07.05.1954 को विस्थापित व्यक्ति भूमि आवंटन नियम 1954 बनाए गए। जिसके नियम 15 बी (2) एवं 15 बी (3) के अनुसार आंवटन में सदस्य के तौर पर शामिल व्यक्ति आवंटी के जीवनकाल में आवंटी के साथ बहिस्सा बराबर बंटवारा करवाने का अधिकार रखता है और आवंटी की मृत्यु के बाद कृषि भूमि बतौर विरास्तन इन्ही सदस्यों को बहिस्सा बराबर प्राप्त होती है। इस आवंटन के उपरान्त वादग्रस्त रकबा को करतारकौर ने आवंटन में सहायक अपने पुत्रों प्रीतपाल सिंह, जीतसिंह व दर्शनसिंह से काश्त करवाया एवं चारों सदस्यों का संयुक्त परिवार रहा। करतारकौर अपने जीवनकाल में हस्ताक्षर करती थीं तथा अपने पुत्र दर्शनसिंह के पास उड़ीसा रहती थी। करतार कौर अपनी मृत्यु से पूर्व गंभीर बीमार थीं तथा मृत्यु से करीब 7–8 माह पूर्व कोमा में चली गई तथा करतारकौर को उनकी मृत्यु के 7–8 माह पूर्व रायसिंहनगर मे इलाज हेतु उड़ीसा में कोमा की हालत में बड़े पुत्र प्रीतपालसिंह के पास लाया गया था। कि प्रीतपालसिंह द्वारा करताकौर के प्रीतपालसिंह के घर कोमा की अवस्था में अपने मित्रों रेशमसिंह व राजेन्द्रसिंह से मिलीभगत कर करतारकौर की एक वसीयत अपने पक्ष में टाईप करवाई गई और जिस पर कोमा की अवस्था में प्रीतपालसिंह के घर चारपाई पर पड़ी करतारकौर के अंगूठे लगावा लिए गए और जिस वसीयत में लिखा गया कि वादग्रस्त कृषि भूमि का मालिक उसकी मृत्यु के पश्चात प्रीतपालसिंह है कि इसके उपरांत प्रीतपालसिंह द्वारा इसी रोज कोमा की अवस्था में करतारकौर को उप पंजीयक अनूपगढ़ के समक्ष ले जाया गया जहां प्रीतपालसिंह द्वारा उप पंजीयक से मिली भगत कर वसीयत को उप पंजीयक अनूपगढ़ से तस्दीक करवा लिया गया। इसके उपरान्त करतारकौर की दिनांक 21.10.1989 को मृत्यु के पश्चात नियम 15 बी (2) जम्मू एवं कश्मीर विस्थापित व्यक्ति भूमि आवंटन नियम 1954 (जम्मू एवं कश्मीर सरकार के केबिनेट आर्डर संख्या 578 सी दिनांक 07.051954) के अनुसार यह भूमि धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित वादीगण के व्यक्तिगत कानून अनुसार करतारकौर के आवंटन में सहायक एवं करतारकौर के संयुक्त परिवार के सदस्य करतारकौर के पुत्रों प्रीतपालसिंह, जीतसिंह व दर्शनसिंह को बहिस्सा बराबर संयुक्त रूप से न्यागत हुई। प्रीतपालसिंह के मन में प्रारम्भ से बेइमानी थी करतारकौर के शेष दोनों पुत्र राजस्थान राज्य से बाहर जीतसिंह(जम्मू एवं कश्मीर के जम्मू शहर में) और दर्शनसिंह (उड़ीसा के संबलपुरा शहर में) निवास करते थे। जो जमीन प्रीतपालसिंह साल दर साल जीतसिंह व जीतसिंह की मृत्यु के बाद उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 से एवं दर्शनसिंह और दर्शनसिंह की मृत्यु के बाद उनके वारिसान वादीगण से ठेका पर लेकर काश्त करता रहा है। इस दरम्यान प्रीतपालसिंह द्वारा पटवारी, गिरदावर एवं उप तहसीलदार मुकलावा से मिली भगत कर दिनांक 14. 02.1992 को इस वसीयत की रूह से वादग्रस्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल स्वयं के नाम तस्दीक करवा लिया। इसके बाद प्रीतपा[illegible] /3 हिस्सा कि.नं. 2 ता 4 सालम, 5/.228, 6/.228, 7–8 सालम, [illegible] 0.101 है. कुल 2.075 है. भूमि का दिनांक 16.11.2005 को [illegible] शिवरत्न व रामगोपाल के पक्ष में बैयनामा पंजी[illegible]कर दिनांक [illegible].2005 को ग्राम पंचायत 5 टी.के. से बैयनामा इन्तकाल त[illegible] 13.042016 को प्रीतपालसिंह से फोन पर वर्ष 2016–2017 का [illegible]/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से मांगा तो प्रीतपालसिंह ने कहा कि जमीन तो सारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.26 16:44:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

उसने अपने नाम करवा ली है और आज के बाद मेरा कब्जा है। जिस पर वादीगण ने रायसिंहनगर आकर जमाबन्दी निकलवाई तो वादीगण को वसीयत होने का ज्ञान हुआ। इससे पूर्व वादीगण को वसीयत का ज्ञान नहीं था। वादी सं. 1 के पति एवं 2 ता 5 के पिता दर्शनसिंह, करतारकौर से उनके जीवन काल में ही नियम 15 बी (3) जम्मू एवं कश्मीर विस्थापित व्यक्ति भूमि आवंटन नियम 1954 (जम्मू एवं कश्मीर सरकार के केबिनेट ऑडर संख्या 578 सी दिनांक 07.05.1954) के तहत बंटवारा करवाकर अपना 1/4 हिस्सा पृथक करवाने का अधिकार रखते थे। इस प्रकार करतारकौर को अपने 1/4 हिस्सा से अधिक वसीयत करने का कोई विधिक अधिकार नही था। वादग्रस्त वसीयत करतारकौर की कोमा अवस्था होने के कारण ही उप पंजीयक अनूपगढ द्वारा पंजीकृत नहीं की गई थी। और केवल मात्र तस्दीक की गई थी। इस प्रकार किसी उप पंजीयक द्वारा वसीयत को केवल तस्दीक किए जाने का कोई नियम नहीं है। इसके अलावा संबंधित उप पंजीयक मुकलावा एवं निकटवर्ती उप पंजीयक रायसिंहनगर, गजसिंहपुर, श्रीकरणपुर, पदमपुर एवं श्री विजयनगर को छोड़कर 50 किलोमीटर से अधिक दूर उप पंजीयक के पास तस्दीक करवाया जाना स्वतः मिली भगत का परिणाम है। यह कि वादग्रस्त वसीयत वसीयतकर्ता की अस्वस्थचित्तता के कारण एवं बीमारी से उद्भूत ऐसी मनोदशा में जिसमें उसे ज्ञान नहीं है कि वह क्या कर रही है की गई वसीयत होने के कारण वसीयतकर्ता वसीयत के द्वारा अपनी संपत्ति का व्ययन करने के लिए समर्थ व्यक्ति नहीं थी। इस कारण करतारकौर की वसीयत दिनांक 04.05.1989 प्रारम्भ से ही अवैध, अकृत, अमान्य, अप्राभावशाली एवं शून्य है वसीयत का प्रोबेट भी जारी नहीं करवाया गया है इस प्रकार वसीयत दिनांक 04.05.1989 ऐसी वसीयती व्ययन नहीं है, जो प्रभावी हो सके। वादग्रस्त रकबा कि.नं. 9/2 की .152 है., 10 ता 14 सामल, 15 की .228 है., 16 की .228है. 17 ता 24 सालम व 25 की .228है. कुल 4.125 है. (16.05बीघा) पर पतिवादी संख्या 1 ता 4 अतिचारीकी हैसियत से नाजायज काबिज होकर 20,000/–रूपया प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के नाजायज मध्यवर्ती लाभ प्राप्त कर रहे है 1/2 हिस्सा पर वादीगण के बराबर एवं 1/2 पर प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 के बहिस्सा बराबर काश्तकारी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर वादीगण के 1/2 हिस्सा का बंटवारा किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को बेदखल कर कब्जा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 10 को दिलाया जाना एवं इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 का नाम राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद किया जाना एवं 20,000/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 से वाद प्रस्तुति की तारीख से ता रोज बेदखल तक मध्यवर्ती लाभ दिलाया जाना न्याय हित तें अत्यंत आवश्यक है अन्यथा वादीगण के विधिक अधिकारों का हनन होगा एवं अपूर्णीय क्षति होगी। प्रतिवादीगण दिनांक 13.01.2019 को यह अनुतोष देने से स्वयं इन्कार हो गये। दावा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। दावा उचित न्याय शुल्क 4 रूपये की कोर्ट फीस पर पेश है और अन्दर मियाद हैं अतः दावा वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री सादिर फरमाया जाए। कि चक 9 एन पी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 7 पं.नं. 171/313 के कि.नं. 9/2 की .152 है., 10 ता 14 सालम, 15 की .228 है, 16 की .228है., 17 ता 24 सालम व 25 की .228है. कुल 4.125 है. नहरी कृषि भूमि के 1/2 हिस्सा पर वादीगण के बहिस्सा बराबर एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 के बहिस्सा बराबर काश्तकारी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जावे। उक्त घोषणा व बंटवारा के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 का नाम राजस्व अभिलेखों व जमाबन्दी में अमलदरामद के आदेश दिए जाए। बंटवारा में प्राप्त रकबा से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 को वाद दायरी से ता रोज बेदखली तक 20,000/– रूपये प्रति बीधा के हिसाब से प्रति वर्ष मध्य वर्ती लाभ प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 से दिलाये जाये।

2. वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये [illegible] तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की तरफ श्री सुभाषचन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता [illegible] मय जवाब दावा एवं काउंटर क्लेम पेश पेश कर निवेदन किया है [illegible] हमे जमीन करतारकौर बेवा आशासिंह के नाम से होना स्वीकार है लेकिन करतारकौर ने अपनी खातेदारी भूमि प्रीतपालसिंह को वसीयत करवा दी थी जिसके बाद अब प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता प्रीतपालसिंह के नाम से खातेदारी है उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.26 16:44:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

4 के पिता प्रीतमसिंह के नाम से खातेदारी भूमि है। करतार कौर अनपढ़ थी जो अंगूठा लगाती थी तथा रायसिंहनगर तहसील में ही निवास करती थी। करतारकौर कभी कोमा में नहीं गई, बल्कि अपनी उम्र पूरी होने पर स्वभाविक मृत्यु को प्राप्त हुई। एक पंजीयक अधिकारी किसी कोमा में गये व्यक्ति की वसीयत नहीं करता बल्कि पंजीयक अधिकारी ने करतारकौर से बयान लेकर सक्षम गवाहों के सामने वसीयत को तस्दीक किया है वसीयत लिगल है। पटवारी गिरदावर व तहसीलदार एक सरकारी कर्मचारी है जो कभी भी गलत इन्तकाल नहीं करते, यह बात भी कि पटवारी तहसीलदार ने मिलीभगत कर इंतकाल दर्ज करवाया है गलत व गैरकानूनी लिखी है इसलिए यह वाद पत्र काबिल खारिज है। वादी ने अपने वाद पत्र में ओ.बी.सी. बैंक से ऋण लेना बताया है जबकि किसी बैंक से आज तक प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का कोई ऋण बकाया नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के खिलाफ एक फौजदारी प्रकरण अन्तर्गत धारा 419,420,467,468,471 आईपीसी का एफआईआर संख्या 89/2016 दर्ज करवाई थी जिसको पुलिस ने अदमवकू (झूठ) मानकर एफआर पेश कर दी जिसका एफआर संख्या 90/2016 है जिस पर निर्णय दिनांक 15.05.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में एफआर स्वीकार हुई है। जो माननीय न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजि. रायसिंहनगर में चला था माननीय न्यायालय ने दिनांक 15.05.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में निर्णय करते हुए एफआर स्वीकार कर ली। वादीगण ने सोच–समझकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को हरेशमेन्ट व नेगलेट करने के उद्देश्य से यह मुकदमा झूठा दर्ज करवाया है जबकि उपरोक्त एफआर संख्या 90/2016 से यह स्पष्ट साबित है कि विवादित भूमि में से वादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं है इसलिए यह वाद पत्र खारिज फरमाया जावे। काउंटर क्लेम उचित कोर्ट फीस पर पेश है अतः जवाबदावा एवं काउंटर क्लेम बहक प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 खिलाफ वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि काउंटर क्लेम बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे। (क) चक 9 एनपी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 7 पं. नं. 173/313 की खातेदारी भूमि में से वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को बेदखल करने से बाज व ममनू रखा जावे। प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 के हक व अधिकारों एवं राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अधिकारों में दखल अन्दाजी करने से रोका जावे। अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे दिलाया जावे।

वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब काउंटर क्लेम वादीगण निम्न प्रकार हैं उक्त रकबा करतारकौर प्रीतपालसिंह, जीतसिंह व दर्शनसिंह को संयुक्त रूप से आवंटन किया गया था लेकिन जिसकी काश्तकारी के खातेदारी अधिकार की सनद करतारकौर को केवल मात्र इस परिवार का मुखिया होने के कारण एवं जिस रकबा का कब्जा सुपुर्द करने के कारण जारी की गई थी। इस प्रकार करतारकौर की सम्पूर्ण भूमि खातेदारी नहीं थी। वसीयत के साथ करतारकौर के किसी प्रकार के ब्यान संलग्न नही है। जिससें सिद्व है कि करतारकौर कोमा की अवस्था में थी। करतारकौर उड़ीसा में रहती थी एवं प्रीतपालसिंह अपने भाईयों जीतसिंह व दर्शनसिंह एवं जिनकी मृत्यु पश्चात इनके वारिसान में रकबा हिस्सा ठेका पर लेकर काश्त करता रहा है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्व किसी प्रकार का फौजदारी प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया था। वादी सं. 1 अवतार कौर द्वारा प्रीतपालसिंह के विरूद्व वसीयत कूटरचना का फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाया गया था दांडिक न्यायालय का निर्णय राजस्व वाद में सुसंगत नहीं है। दांडिक न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.05.2018 के विरूद्व वादिया अवतारकौर द्वारा न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश में निगरानी की जानी प्रस्तावित थी लेकिन निगरानी अवधि 90 दिन समाप्ति से पूर्व ही प्रीतपालसिंह की मृत्यु हो गई। इसके अलावा इस निर्णय में वादिया अवतारकौर को अपने हक के लिए सिविल कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होना दर्शाया भी गया हैं। अतिरिक्त कथन में अंकित है कि प्रतिवादी सं. 1 कुलवंत[illegible] की माता चांद रानी को वाके चक 16/17 एन.पी. में 25 बीघा भूमि परिवार के सदस्यों की सं[illegible] आधार पर बतौर पाक अधिकृत कश्मीर विस्थापित आवंटित हुई थी। जिसमें 4 [illegible] और कुलवन्तकौर भी जिसमें सदस्य थी। कुलवन्तकौर द्वा[illegible] भाईयों के [illegible] के विरूद्व अटैच सदस्य का भूमि में प्रारंभ से हक होने [illegible] था। जो वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ए[illegible] प्राधिकारी शिविर रायसिंहनगर द्वारा स्वीकार कर प्रतिवादी कुलवन्तकौर के ह[illegible] में डिक्री किया गया था और कुलवन्तकौर को जिस भूमि का कब्जा भी प्राप्त हुआ और तत्पश्चात कुलवन्तकौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.26 16:44:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

द्वारा भूमि बैचान भी कर दिया गया। इस प्रकार कुलवन्तकौर को जिस नियम के कर दिया गया। इस प्रकार कुलवन्तकौर को जिस नियम के तहत अधिकार मिले है उस नियम के तहत वादीगण को अधिकार प्रदान करने के लिए प्रतिवादीगण बाध्य है। अतः जवाब काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि काउंटर क्लेम प्रतिवादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जाए। वादीगण को खर्चा जवाब देही व विशेष हर्जाना 3000/- रुपये दिलाए जाने के आदेश पारिज किए जाने की कृपा की जाए।

हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

(i) आया कि ग्राम 9 एन.पी. पं.नं. 171/313 की 24.10 बीघा नहरी भूमि को करतारकौर (मुखिया), प्रीतमसिंह, जीतसिंह व दर्शनसिंह(पुत्र) को युनिट फैमिली के हिसाब से आवंटन हुई थी -:जिम्मेवादी

(ii) आया कि उक्त वादग्रस्त भूमि में आवंटन के सदस्यों के तौर पर आवंटी के बराबर बंटवारा करने के अधिकारी थे। -:जिम्मेवादी

(iii) आया कि करतारकौर द्वारा प्रीतपालसिंह के पक्ष में पूर्ण भूमि की वसीयत करवायी जबकि वह 1/4 हिस्से से अधिक वसीयत करवाने की अधिकारी नहीं थी। -:जिम्मेवादी

(iv) आया कि ग्राम 9 एन.पी. के मु.नं. 7 के कि.नं. 9/2 की .0.152 है, 10 ता 14 सालम, 15 की 0.228है., 16 की 0.228है., 17 ता 24 सालम व 25 की 0.228 है. कुल 4.125 है. कृषि भूमि के 1/2 हिस्सा पर वादीगण ब.हि.ब. 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादी सं. 5 ता 10 ब.हि.ब. खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। –जिम्मेवादी

(v) आया कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 5 ता 10 वाद दायरी से बेदखली तक 20,000/- रूपये प्रति बीघा के हिसाब से प्रतिवर्ष मध्यवर्ती लाभ प्रतिवादी सं. 1 ता 4 से प्राप्त करने के अधिकारी है। -:जिम्मेवादी

(vi) आया कि करतारकौर बैवा आसासिंह द्वारा स्वस्थ चित से उप पंजीयक के समक्ष उपस्थित होकर वसीयत निष्पादित करवायी थी इसलिए वादीगण हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। -:जिम्मेप्रतिवादी

(vii) अन्य अनुतोष

वादीगण के द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह हरविन्द्रसिंह ने दिनांक 20.01.2025 शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। जमाबंदी प्रीतपालसिंह, प्रदर्श-1 है जगदीश आदि प्रदर्श-2 है, कश्मीरी रिफयूजी दाखीला रजिस्टर करतारकौर प्रदर्श-3 हैं। जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा की गई। ब्यान शामिल मिसल किए गए।

प्रतिवादीगण के द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह गुरमीतसिंह पुत्र प्रीतपालसिंह ने दिनांक 28.01.2025 गहवान के ब्यान में अंकित किया है कि जिस पर **A** से **B** मेरे हस्ताक्षर है तथा अवतार कौर बनाम प्रीतपालसिंह एफआर संख्या 90/2016 प्रदश-1 है जिसकी छायाप्रति डी-1(**A**) है इसी के साथ राकेश पुत्र प्रीतपालसिंह के ब्यान करवाये गये। जिरह वकील वादी द्वारा की गई। ब्यान शामिल मिसल किए गए।

प्रार्थीया अवतारकौर की तरफ से दिनांक 30.04.2019 को प्रा. पत्र आ. 1 नि. 10 व धारा 151सीपीसी पेश किया। वादी के द्वारा दिनांक 04.09.2019 को प्रा.पत्र आ. 5 नि.4 व धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। श्री कुलदीप सेनी अधिवक्ता ने शाखा प्रबन्धक ओ.बी.सी. बैंक की ओर से प्रा.पत्र आ. 1 नि. 10(2) व धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। प्रा.पत्र आ. 1 नि. 10(2) व धारा 151 सीपीसी दिनांक 05.02.2020 को स्वीकार किया गया। दिनांक 27.01.2020 को प्रा. पत्र आ.23 नि.1(1) व धारा 151 पेश किया जो दिनांक 05.02.2020 को खारिज किया गया। दिनांक 12.01.2021 को वादी अधिवक्ता द्वारा प्रा.पत्र आ.6 नि. 17 व धारा 151 सीपीसी पेश किया [illegible] धारा [illegible] को स्वीकार किया गया। दिनांक 30.04.2019 को प्रस्तुत प्रा. पत्र आ. [illegible] को 151सीपीसी को दिनांक 29.03.2023 को स्वीकार किया [illegible] वादी द्वारा प्रा.पत्र आ. 22 नि. 3 व धारा 151सीपीसी पेश किया गया जो [illegible] 13.11.2025 को स्वीकार किया गया।

हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा [illegible] पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.26 16:44:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक–पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:–

तनकी संख्या (i) आया कि ग्राम 9 एन.पी. पं.नं. 171/313 की 24.10 बीघा नहरी भूमि को करतारकौर (मुखिया), प्रीतमसिंह, जीतसिंह व दर्शनसिंह(पुत्र) को युनिट फैमिली के हिसाब से आवंटन हुई थी

उक्त विवाधक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार दिनांक 17.02.1952 को करतारकौर स्वयं प्रीतपालसिंह (पुत्र), जीतसिंह (पुत्र), दर्शनसिंह पुत्र इन चारों को 24.10 बीघा भूमि जीवों के आधार पर (परिवार के सदस्यों) आवंटन हुई थी, अतः तनकी को सिद्व करने में वादीगण सफल रहे। तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती हैं।

तनकी संख्या (ii) आया कि उक्त वादग्रस्त भूमि में आवंटन के सदस्यों के तौर पर आवंटी के बराबर बंटवारा करने के अधिकारी थे। –:जिम्मेवादी

उक्त विवाधक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित है कि ग्राम 9 एन.पी. के मु.नं. 7 की 24.10 बीघा भूमि करतारकौर व उनके तीन पुत्रों को आवंटित हुइ थी। जीवों के आधार पर आवंटन होने के कारण प्रत्येक सदस्य का बराबर–बराबर हिस्सा था। प्रत्येक सदस्य बराबर–बराबर हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या(iii) आया कि करतारकौर द्वारा प्रीतपालसिंह के पक्ष में पूर्ण भूमि की वसीयत करवायी जबकि वह 1/4 हिस्से से अधिक वसीयत करवाने की अधिकारी नहीं थी। –:जिम्मेवादी

उक्त विवाधक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर भूमि करतारकौर स्वयं, प्रीतपालसिंह (पुत्र), जीतसिंह (पुत्र),दर्शनसिंह (पुत्र) चारों व्यक्तियों को एवं फैमिलीको 24.10 बीघा आवंटित हुई थी।परिवार की मुखिया होने के कारण सनद खातेदारी करतारकौर के नाम जारी हुई। करतारकौर के द्वारा दिनांक 04.051989 को एक वसीयत प्रीतपालसिंह के पक्ष में निष्पादित करवायी गई। करतारकौर की दिनांक 21.10.1989 को मृत्यु हो चुकी है मृत्यु के पश्चात प्रीतपालसिंह द्वारा उक्त भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवायी है चूंकि भूमि चार सदस्यों को आवंटित हुई थी। इसलिए करतारकौर का उसमें 1/4 हिस्सा ही था। 1/4 हिस्से की वसीयत करवाने की करतारकौर अधिकारी थी। सम्पूर्ण भूमि 24.10 बीघा की वसीयत करवाने की अधिकारी नहीं थी इस तनकी को वादीगण सिद्व करने में सफल रहे है अतः यह तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

(iv) आया कि ग्राम 9 एन.पी. के मु.नं. 7 के कि.नं. 9/2 की .0.152 है, 10 ता 14 सालम, 15 की 0.228है., 16 की 0.228है., 17 ता 24 सालम व 25 की 0.228 है. कुल 4.125 है. कृषि भूमि के 1/2 हिस्सा पर वादीगण ब.हि.ब. 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादी सं. 5 ता 10 ब.हि.ब. खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। –जिम्मेवादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार चक 9 एन.पी. मु.नं. 7 की 24.10 बीघा भूमि करतारकौर व तीन उनके पुत्रों को आवंटित हुई थी। प्रत्येक व्यक्ति का 1/4–1/4 हिस्सा था। करतारकौर द्वारा सम्पूर्ण रकबे की वसीयत प्रीतपालसिंह के पक्ष में निस्पादित की गई थी। जबकि वह 1/4 हिस्से की वसीयत करवाने की अधिकारिता रखती थी। प्रीतपालसिंह 1/4 हिस्सा स्वयं का तथा 1/4 हिस्सा वसीयत के माध्यम से कुल 1/2 हिस्सा यानि 12 बीघा 5 बिस्वा प्राप्त करने का अधिकारी है 1/4 हिस्सा जीतपालसिंह व 1/4 हिस्सा दर्शनसिंह प्राप्त करने के अधिकारी हैं यह तनकी भी बहक वादीगण निर्णित की जाती हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.26 16:44:18 IST
Reason: SelfAttested

(v) आया कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 5 ता 10 वाद दायरी [illegible] बेदखली तक 20,000/– रूपये प्रति बीघा के हिसाब से प्रतिवर्ष [illegible] लाभ प्रतिवादी [illegible] 4 से प्राप्त करने के अधिकारी है। –जिम्मेवादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था तनकी संख्या [illegible] विस्तार से वर्णन ऊपर किया जा चुका है परन्तु वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 वाद दायरी से बेदखली तक 20,000/–प्रति बीघा के हिसाब से प्रति वर्ष लाभ देने संबंधित

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

...ना कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो की लाभ
...तिवादी संख्या 1 ता 4 से प्राप्त करने के अधिकारी हो। अतः यह तनकी वादीगण के
...रुद्ध निर्णित की जाती है।

**...) आया कि करतारकौर बैवा आसासिंह द्वारा स्वस्थ चित से उप पंजीयक के समक्ष
...पस्थित होकर वसीयत निष्पादित करवायी थी इसलिए वादीगण हिस्सा प्राप्त करने के
...धिकारी नहीं है।**

—:जिम्मेप्रतिवादी

...तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत
...बदावा के अनुसार करतारकौर स्वस्थ चित थी व उपपंजीयक के समक्ष उपस्थित
...कर वसीयत निस्पादित करवायी थी। लेकिन करतारकौर को 1/4 हिस्से की वसीयत
...निष्पादित करवाने की अधिकारिता थी। प्रीतपालसिंह व उनके वारिस सम्पूर्ण हिस्से
...खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के
...रुद्ध आंशिक निर्णित की जाती है।

...नकी संख्या 1 ता 4 व 6 आंशिक बहक वादी व तनकी संख्या 5–6 आंशिक
...तिवादीगण निर्णीत की गई है। अतः वादीगण को अनुतोष प्रदान करना हम विधिसंगत
...समझते है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

...पर्युक्त विवेचन के आलोक मे वाद पत्र वादी अंतर्गत धारा 88,91,183,209, राजस्थान
...री अधिनियम 1955 भली–भांति साबित होने पर आंशिक स्वीकार किया जाकर राजस्व
...एन.पी. मु.नं. 7 की 24.10 बीघा भूमि करतारकौर व तीन पुत्रों को सदस्य के रूप में
...होने व करतारकौर द्वारा वसीयत प्रीतपालसिंह के पक्ष में निस्पादित करने के कारण
...हिस्सा करतारकौर का व 1/4 हिस्सा प्रीतपालसिंह का कुल 1/2 हिस्सा अर्थात (3.
... व 1/4 हिस्सा जीतसिंह व 1/4 हिस्सा दर्शनसिंह प्राप्त करने के अधिकारी है।
...सिंह को प्राप्त 1/2 हिस्सा यानि 12 बीघा 5 बिस्वा अर्थात (3.100है.) भूमि में से
...सिंह द्वारा 2.075 है. यानि 8.05 बीघा भूमि जगदीश, शिवरतन, रामगोपाल पिता
...जाति बिश्नोई को दिनांक 16.11.2005 को विक्रय कर नामान्तरण 23.12.2005 को
...किया जा चुका है। उक्त मुरब्बा नं. 7 की शेष भूमि में 4.01 बीघा अर्थात (1.025है.)
...पालसिंह के वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर तथा 1/4 हिस्सा अर्थात 1.550 है.
...नसिंह के वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर व 1/4 हिस्सा अर्थात 1.550 है. हिस्सा
... के वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। निर्णय की प्रति
...गर रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाये। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो।
...फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल
...लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

...ज दिनांक 07.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.26 16:44:18 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner